

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिघोषणा

पटना, तारीख : .....

स० ..... २१० वृत्ति बिहार सरकार को यह प्रदत्त होता है कि ग्राम- सबनीगा चादर नं०-०१, थाना नं०- १३०, परगना- गंगारपुर, थाना- बाढ़, जिला- पटना में प्राकृतिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बाढ़ से बख्तियारपुर नई बड़ी रेल लाईन निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जाती अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम- सबनीगा चादर नं०-०१, थाना नं०- १३० के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक गण से कम-वेश ११३०६ एकड़ के बराबर होता है और जिसका सर्वे खेसरा संख्या- ४१९, ४२१, ४२५, ११९१, १२०९, १२२५, १२२७, १२३४, १२३५, १२३९, १२४०, १२४१, १२४३, १२४४, १२४५, १२४६, १२४८, १२५४, १२५७, १२५८, १२५९, १२६०, १२६१, १२६३, १२६४, १२७२, १२७४, १२७५, १२७६, १२७८, १२७९, १२८०, १२९०, १२९१, १२९२, १२९३, १३१२, १३१७, १३१८, १३१९, १३२०, १३२१, १३२८, १४५०, १४७३, १४७४, १४७५, १४७७, १४७८, १५६८, १५६९, १५७०, १५७१, १५७२, १५७३, १५७६, ११९१/४४७० एवं ११७१/४४७१ सभी अंश भाग के खेसरा स० ११९८, ११९९, १२३६, १२६२, १२७३, १४४९, १४७६ एवं १२०९/४४६९ सभी पूर्ण भाग है जिसकी चौहददी निम्न प्रकार है -


उत्तर : खेसरा स०- १५६९, १५६८, १४७७, १४७८, १४७३, १३२८, १३२०, १३२१, ४१९, १३१७, ४२१, १२९२, १२७८, १२७६, ४२५, १२७५, १२७४, १२६१, १२६०, १२५९, १२५८, १२५७, १२५४, १२४८, १२४६, १२४५, १२४४, १२३९, १२३५, १२३४, १२२७, १२२५, १२०९, ११९१, ४४७० एवं ४४७१ सभी अंश भाग एवं खेसरा स०- १४४८, १२३७ सभी पूर्ण भाग।

पूरब : मौजा-सबनीगा थाना नं०-१३० मिताना चादर नं०- २

दक्षिण : खेसरा स० १५७६, १५७१, १५७२, १५७३, १४७५, १४७४, १४७३, १४५०, १३१२, १३१९, १३१८, १३१७, १२९३, १२९१, १२९०, १२७९, १२७६, १२८०, १२७२, १२६३, १२६४, १२५७, १२५४, १२४८, १२४६, १२४५, १२४४, १२४१ एवं १२४३ सभी अंश भाग।

पश्चिम : मौजा-गोहम्मदपुर, थाना नं०- १३५ का सिमाना।

भूमि एवं भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल के ग्राम जिरा कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग से लाना आवश्यक हो, ले लिए उपरोक्त यह घोषणा अधिनियम ११८९४ की धारा ६ और अधिनियम १८१८८५ की धारा ३ के खंड (१) तथा संशोधित अधिनियम के धारा ४ सन १९६१ एवं १९६४ के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो। भूमि का मानचित्र जिला भू-अर्जन प्रदायिकारी, पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

  
समाहर्ता,  
पटना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


१०

सरकार के सचिव सचिव

- 1730/रा०

ज्ञापक संख्या-15/डी0 एल0 ए0 पटना (रेल)-19/13-1 - दिनांक-03-07 13

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, पटना को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

  
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)  
सरकार के अवर सचिव।  
२-